न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी– राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

मु.सं. 78/2024/प्रार्थना पत्र 6(ए)

राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, धोद जिला सीकर

– प्रार्थी

बनाम

गोपालराम पुत्र सांवरमल जाति नाई निवासी ग्राम सेवद बड़ी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर

– अप्रार्थी

आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

निर्णय

दिनांक– 31.07.2025

प्रवर्तन निरीक्षक, धोद जिला सीकर की ओर से एक आवेदन अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 प्रस्तुत किया गया। इस आवेदन का संक्षेप सार इस प्रकार है कि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, सीकर के आदेश दिनांक 17.09.2024 के संदर्भ में दिये गये निर्देश की पालना में पंचायत समिति धोद में घरेलू गैस सिलेण्डर के दुरुपयोग की दिव्या रेस्टोरेंट एण्ड फास्ट फूड, सेवद बड़ी, धोद में जांच की गई, जिसमें मौके पर होटल के संचालक श्री गोपालराम उपस्थित मिले, जिनकी उपस्थिति में जांच करने पर निम्न तथ्य पाये– होटल परिसर में चाय, नाश्ता, खाना बनाने के लिये भारत गैस एवं एचपी के 03 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किग्रा होटल में उपयोग में लिये जा रहे थे। मौके पर उपस्थित होटल संचालक श्री गोपालराम से इनके कागजात के संबंध में पूछताछ की गई जिसमें इनके द्वारा कनेक्शन संबंधी कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किये गये। घरेलू गैस सिलेण्डर (क्षमता 14.2 किग्रा) के दुरूपयोग के संबंध में पूछताछ करने पर मौके पर उपस्थित होटल संचालक श्री गोपालराम द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया जिस पर धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत उपरोक्त कुल 03 घरेलू गैस सिलेण्डर को जब्त कर कब्जे में लिया गया। मौके पर जब्त गैस सिलेण्डर 03 सुपुर्दगी में विकम गैस एजेन्सी, सीकर के मैनेजर श्री वसीम खान को सुपुर्दगी में दिये गये। मौके पर फर्द चैकिंग, फर्द अभिग्रहण एवं फर्द सुपुर्दगीनामा तैयार किया गया। जब्त 03 गैस सिलेण्डरो का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	सिलेण्डर का एस. आर. क्रमांक/मार्का	सील/अनसील्ड सरकारी तेल कम्पनी का नाम	सिलेण्डर पर एलपीजी का उपदर्शित मानक भार/क्षमता किग्रा में	खाली सिलेण्डर का उपदर्शित भार/टेयर वेट किग्रा में	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एलपीजी किग्रा में	शुद्ध गैस का भार किग्रा में	वि वि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	670744E	सील भारत गैस	14.2	15.9	26.00	10.1	–
2	271303T	सील भारत गैस	14.2	15.8	18.00	2.2	–
3	953547T	सील एचपी	14.2	15.4	15.40	0	–

द्रवित गैस ज्वलनशील पदार्थ है, जिसका निस्तारण धारा 6ए(2) ईसी एक्ट के तहत शीघ्र निस्तारण किये जाने के आदेश फरमावें। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त गैस सिलेण्डरों को राजसात करने के आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.05 16:20:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला-सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रिजस्टर किया गया एवं अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित होकर विस्तृत जवाब पेश किया, जिसमें सारतः उल्लेखित किया गया कि "प्रार्थी/जवाबदाता गोपालराम ग्राम सेवद बड़ी में दिव्या रेस्टोरेन्ट के नाम से चाय पानी की दुकान कर रखी है तथा अपनी फर्म के नाम से एक व्यवसायिक गैस कनेक्शन उपभोक्ता क्रमांक 120214630 प्राप्त कर रखा है तथा चाय बनाने के लिए हमेशा उक्त व्यवसायिक गैस कनेक्शन का ही उपयोग में लेता आ रहा है, लेकिन दिनांक 17.09.2024 को अचानक जवाबदाता का उक्त व्यवसायिक सिलेण्डर खत्म हो जाने व जवाबदाता की रेस्टोरेन्ट पर प्रार्थी के रिश्तेदार आ जाने कारण उनको चाय पिलाने के लिए प्रार्थी अपनी रेस्टोरेन्ट के पीछे अवस्थित अपने घर का अपने पिताजी सांवरमल के नाम का लिया हुआ एक घरेलू सिलेण्डर क्रमांक 670744ई को अपने घर से लाकर मात्र थोड़ी देर के लिए रेस्टोरेन्ट पर लगा लिया था तथा खाली व्यवसायिक सिलेण्डर को भरवाने के लिए गैस ऐजेन्सी की गाड़ी आने का इन्तजार कर रहा था, उसी समय प्रवर्तन निरीक्षक, धोद के आ जाने पर जवाबदाता के उक्त घरेलू सिलेण्डर को जब्त कर लिया, जिस कारण से प्रार्थी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) को दोषी नहीं मानते हुये कार्यवाही किया जाना प्रार्थनीय है। प्रार्थी की रेस्टोरेन्ट पर दूसरा घरेलू सिलेण्डर क्रमांक 271303टी सील भारत गैस प्रार्थी के पत्नी रिनू देवी के नाम का खाली सिलेण्डर रखा हुआ था, जिसे गैस एजेन्सी की गाड़ी के इन्तजार में रखा था ताकि गाड़ी आने पर भरवाकर घर में उपयोग लिया जा सके, उक्त सिलेण्डर को व्यवसायिक उपयोग में कभी नहीं लिया गया तथा ना ही व्यसायिक उपयोग में लेने का कोई उद्देश्य था। प्रार्थी की रेस्टोरेन्ट पर तीसरा घरेलू सिलेण्डर कमांक 953547टी सील एच.पी गैस प्रार्थी के छोटे भाई की पत्नी रजनी पत्नी अजीत कुमार के नाम का खाली सिलेण्डर रखा हुआ था, जिसे गैस एजेन्सी की गाड़ी के इन्तजार में रखा था ताकि गाड़ी आने पर भरवाकर घर में उपयोग लिया जा सके, उक्त सिलेण्डर को व्यवसायिक उपयोग में कभी नहीं लिया गया तथा ना ही व्यवसायिक उपयोग में लेने का कोई उद्देश्य था, जो कि प्रार्थी की रेस्टोरेन्ट मुख्य सड़क पर है तथा गैस ऐजेन्सी की गाड़ी प्रार्थी की रेस्टोरेन्ट पर आने के कारण आस–पास के उपभोक्ता प्रार्थी की रेस्टारेन्ट पर सिलेण्डर आदि गाड़ी से ले जाते है, जिस कारण से कई बार खाली सिलेण्डर प्रार्थी की रेस्टोरेन्ट पर पड़े रहते है। उनका उददेश्य किसी प्रकार का व्यवसायिक उपयोग में नहीं होता है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का उक्त सिलेण्डर का उद्देश्य किसी प्रकार व्यवसायिक उपयोग में नहीं होने के कारण वापस प्रार्थी को दिलवाये जाये तथा प्रार्थी भविष्य में किसी प्रकार के घरेलू सिलेण्डर को अपनी रेस्टोरेन्ट पर नहीं रखेगा तथा प्रार्थी की दुकान मात्र चाय की छोटी रेस्टोरेन्ट कोई बड़ी व्यसायिक फर्म नहीं है। अतः प्रार्थी के विरूद्ध प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 06 (ए) के तहत की गयी कार्यवाही को निरस्त किया जावें।"

अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब व पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जवाब से सहमत होने पर प्रतीत होता है कि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब व पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जवाब से सहमत होने पर प्रतीत होता है कि जवाबदाता के उक्त रेस्टोरेंट पर निजी उपयोग हेतु तीनों सिलेण्डरों को रखा गया था। अतः आवेदन अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। जब्तशुदा सिलेण्डरों को गोपालराम पुत्र सांवरमल जाति नाई निवासी ग्राम सेवद बड़ी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर को वापिस नियमानुसार लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 31 .07.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.05 16:20:56 IST
Reason: SelfAttested

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद ★ जिला-सीकर (राज.)